Indian Lawyers and Human Rights Activists' Association (ILHRAA)

Regional Office: 11, Kembros Ind Estate, Sonapur Lane, Bhandup (W) Mumbai- 400078 **Email:**ilhraa4@gmail.com

दिनांक : 10/12/2022

[Corrected Copy]

[Please ignore earlier representation.]

CASE NO BEFORE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA : PRSEC/E/2022/39893

प्रति,

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी,

साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल

नई दिल्ली-110011

विषय: (i) संसदीय समिति की 72वी रिपोर्ट के अनुसार 8 मासूम बच्चियों की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपी अधिकारी एवं फार्मा माफियाओ पर करवाई मे देरी करने वाले दोषीयों के खिलाफ IPC 218, 201,302, 304, 409,120(B), 34 आदी धाराओ के तहत कानूनी करवाई करने हेतू;

(ii) वैक्सीन और फार्मा माफियाओ को मदद करने के लिए चैरीटी के नाम पर अपराधिक साजिश रचकर एजंडा चलाने वाले कुख्यात 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनसे

संबंधित योजनाओ को ब्लॅक लिस्ट में डालकर तुरंत बंद करने हेतु

(iii) फार्मा माफियाओं को मदद करने के लिए अवैज्ञानिक और अतार्किक तरीके से पोलियो के डोज बढ़ाकर 4,50,000 से भी अधिक बच्चों को जीवनभर के लिए अपाहिज बनाने वाले मुख्य आरोपी बिल गेट्स और उनकी साजिश में शामिल आरोग्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रीयो के खिलाफ कार्रवाई IPC 115, 307, 409, 120(B), 34 आदि विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कानूनी करवाई करने हेतु;

(iv) विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) द्वारा फार्मा कंपनीयो के फायदे के लिए झूठी रिपोर्ट तयार करना आदि साजिशो पर्दाफाश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत देश मामलों में सरकार की ओर से दिए गए सबूत शपथ पत्र और उपलब्ध अन्य सबूतों के आधार पर उनके निर्देश मानव हित मे ना होकर केवल फार्मा और वैक्सीन कंपनीयो का अधिक हित साधकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर देशो को आर्थिक तथा अन्य रूप से गरीब और कमजोर कर गुलाम बनाने का षड्यंत्र उजागर होने की वजह से उनकी कोई भी सिफारीशो को पूर्णतः जांचे बिना न मानने के आदेश देने हेतु;

(v) कोरोना महामारी के दौरान आरोपी अधिकारियो द्वारा फार्मा और वैक्सीन कंपनीयोको हजारो करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुचाने के लिए अवैज्ञानिक, गैरकानूनी और अतार्किक सुझाव, नियम बनाकर लोगो के मौत के लिए और उन्हे आजीवन अपाहिज बनाने वाले

दुष्परीणामों के लिए तथा देश को हजारो करोड़ रूपये का आर्थिक नुकसान पहुचाने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी और मंत्रियो को तुरंत सेवा से बरखास्त कर के खिलाफ IPC 166, 167, 109, 115, 302, 304, 409, 120 (B), 34 आदि धाराओं के तहत केस (FIR) दर्ज कर करवाई का आदेश सी.बी.आयी. और 'ईडी' को देने हेतु; (vi) कोविड टिके के दुष्परीणामों से पीड़ित नागरिको को अन्य देशो की तरह गंभीर दुष्परीणामों में प्रति व्यक्ती को 2 करोड़ रुपये और मृतक के परिवारों को प्रति व्यक्ती 25 करोड़ रुपये की अंतरीम राशी देकर बादमे अधिक मुआवजे के लिए उन्हें न्यायालय में केस दाखिल कर दोषी फार्मा कंपनीया और अधिकारियों से पूर्ण मुआवजा मिलने के लिए मदद करने हेतु एक विशेष 'ट्रिब्यूनल' की स्थापना करने हेतु;

मा. महोदय,

1. पहला केस: - एच. पी. व्ही (HPV) वैक्सीन के 1 अनाधिकृत ट्रायल में 8 मासूम बच्चीयो की मौत पर संसदीय समिति की 72 वि रिपोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश : -

1.1. भारत की संसदीय समीती ने अपनी 72 वी रिपोर्ट मे कोरोना के बहोत पहले से ही 'वैक्सीन कंपनियों' द्वारा एक अपराधिक साजिश के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर नये नये वायरस खोजना और उसका डर दिखाकर वैक्सीन कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुचाने के लीये सरकारी तंत्र मे धुसपैठ कर गैरकानूनी आदेश द्वारा कंपनीयो को आर्डर दिलवाने और मासूम बच्चियों के मौत के लिये जिम्मेदार अधिकारी और 'कुख्यात चैरीटी संगठन बिल

अँड मिलींडा गेटस फाउंडेशन' आदी द्वारा किये गये षडयंत्रो का खुलासा किया है और उसकी वैधता को मा. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी मंजूरी दी है।

[Kalpana Mehta Vs. Union Of India (2018) 7 SCC 1.]

Link:-https://drive.google.com/file/d/1Wzq_WLIR3-RVqh0BaCakku6YZCk8fLGq/view?usp=sharing

1.2. लेकिन HPV वैक्सीन से उस केस मे 8 मासूम बच्चियों की मौत के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारीयों तथा वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुचाने के लिए चैरीटी का ढोंग करनेवाली कुख्यात संस्था **'बिल अँड मिलिंडा गेट्स फॉउडेशन'** के सरगणाओ तथा उस षड्यंत्र से लाभ प्राप्त करनेवाली HPV वैक्सीन की निर्माता कंपनिया आदि लोगो के खिलाफ फौजदारी क़ानूनी क़ारवाई अभी तक बाकी है ।

1.3. इस देश के हर नागरिक के मन में यह सवाल उठ रहा है की, संसदीय समीती के स्पष्टनिर्देशों तथा बच्चियों के मौत के 14 साल बाद भी उन दोषियो के खिलाफ CBI द्वारा FIR दर्ज न करना यह शंका उपस्थित करता है की, इस देश मे गरीब बच्चियो के मौत के लिए जिम्मेदार माफियाओ के खिलाफ कारवाई की राजकीय इच्छाशक्ति का अभाव है या फिर हमारा तंत्र भ्रष्टाचार मे डुबा हुवा है। और भ्रष्ट अधिकारी तथा नेता केवल अपने फायदे के लिये फार्मा माफियाओ के हाथ की कठपुतली बनकर देश बेचने से लगे हुये है।

1.4. शर्मनाक बात यह है की, उसी HPV वैक्सीन के 50 लाख डोज राजस्थान सरकार ने खरीदकर बच्चियों को देने का ऐलान किया है. उस मामले में सरकारी पैसे के करोड़ो रुपये के दुरूपयोग और अन्य आपराधिक साजिश करनेवाले दोषी अधिकारी और वैक्सीन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच और कठोर कारवाई जरुरी है.

2. **<u>दूसरी केस</u>: -** दूसरी शर्मनाक घटना यह है की, भारत देश मे **"कुख्यात बिल गेटस"** द्वारा पोलियो डोज की संख्या बढाये जाने के अवैज्ञानिक और अनावश्यक सुझाव को मानकर लगभग ४ लाख ५० हजार से भी ज्यादा बचो को आजीवन अपाहिज बना दिया गया और बाद मे जानकर और ईमानदार लोगो के तेवर विरोध के बाद उस गलत प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ज्ञात हो की इस निर्णय से फायदा पाने वाले पोलियो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट है और उसके सीईओ अदार पूणावाला है।

Link: -

(i) https://drive.google.com/file/d/16Wrq1-r5ujC7F4hRzfWBSLzgQM-ociIU/view?usp=share_link

(ii)https://greatgameindia.com/bill-gates-agenda-in-india-exposed-by-robert-kennedy-jr/

2.1. लेकिन सरकार ने उस गलत निर्णय की न तो कोई माफी मांगी और ना ही उन पिडीत बच्चो को और उनके परिवारोको कोई मुआवजा (compensation) दिया और ना ही **<u>बिल गेट्स</u>** तथा उसकी साजिश मे शामिल तत्कालीन मंत्रियों और अधिकारीयो के खिलाफ कानूनी क़ारवाई हुई ।

2.2. जबकि कानून मे स्पष्ट प्रावधान है की, ऐसे मामलो में दोषियो पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और पिडीत बच्चो और उनके परिवारो को सरकार द्वारा तुरंत मुआवजा देकर बाद मे वह राशि दोषी अधिकारी, वैक्सीन कंपनी के निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट तथा उसके सीईओ अदार पूणावाला और साजिश को रचने वाले मुख्य आरोपी **'बिल एंड मिलिंडा गेटस फाउंडेशन'** से वसूल करनी चाहिए। **<u>[S. Nambi Narayan Vs. Siby Mathews (2018)10 SCC 804, Veena Sippy Narayan Dumbre 2012 ALL MR (Cri)126]</u>**

2.3. कानून मे यह भी प्रावधान है की, किसी भी गुनाह मे आरोपियों को बचाने के लिए कारवाई मे देरी करना या कारवाई न करनेवाले कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, जज आदी सभी को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा **201, 202, 218, 219, 409** आदि धाराओ के तहत सजा हो सकती है। **[State of Odisha Vs. Pratima Mohanty 2021 SCC Online SC 1222, Regina Vs. Dytham [1979] Q.B. 722, Kodali Purnachandra Rao Vs. Public Prosecutor, (1975) 2 SCC 570, Anverkhan Mahamad khan Vs. Emperor 1921 SCC OnLine Bom 126, Biraja Prosad Rao Vs. Nagendra Nath, (1985) 1 Crimes 446 (Ori.), Hurdut Surma, (1967) 8 WR (Cr.) 68, Narapareddi Seshareddi, In Re, AIR 1938 Mad 595, Rakesh Kumar Chhabra Vs. State of H.P., 2012 CrLJ 354(HP), Moti Ram Vs. Emperor, AIR 1925 Lah 461, Maulud Ahmad Vs. State of U.P.,(1964) 2 CrLJ 71 (SC), Girdhari Lal,(1886) 8 All 633.]**

2.4. किंतू इस मामले मे भी अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है।

3. तिसरा केस: - कोरोना वैक्सीन से मौत के मामले में मुआवजा देने में आनाकानी और दोषियो पर कारवाई न करना।

3.1. केन्द्र सरकार ने राज्यसभा मे दिये अपने जबाब मे और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी जगह दिये गये अपने शपथपत्रों मे यह स्पष्ट किया की टिका **(Vaccine)** लेना या नहीं लेना हर व्यक्ति का व्यक्तीगत अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर जबरदस्ती वैक्सीन नहीं दिया जा सकता या फिर टिका नहीं लेनेवाले लोगो को किसीभी तरह की सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता ।

Link: -

(i)

https://drive.google.com/file/d/18MihHRHZRSmQl5g8GIFSnS5D9cxp9LUW/view?usp=drivesdk

(ii) https://taxguru.in/corporate-law/provision-compensation-recipients-covid-19-vaccine.html

(iii)https://drive.google.com/file/d/18MihHRHZRSmQl5g8GIFSnS5D9cxp9LUW/view?usp=drivesdk

(iv)

https://drive.google.com/file/d/1ISlGRy_Smv4ReQyoVCJm2sdQbQgehO1I/view?usp=share_link

3.2. केंद्र सरकार के इन्ही बातो का संज्ञान लेकर और संविधानिक प्रावधानो का हवाला देकर मा. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आसाम सरकार के टिके की जबरदस्ती करनेवाले गैरकानूनी आदेश को ख़ारिज किया इस मामले में केन्द्र सरकार खुद एक प्रतिवाद थे।**[Madan Mili Vs. Union of India 2021 SCC OnLine Gau 1503]**

Link:-

https://awakenindiamovement.com/gauhati-high-court-itanagar-bench-order/

3.3. मा. उच्च न्यायलय का यह आदेश पुरे देश को बंधनकारक था क्योकि उसमे संविधान के **Article 21,14,19** को सम्माहित किया गया था। **[Nabin Chandra Bachubhai Doshi v. State of Assam, 2017 SCC OnLine Gau 614, Kusum Ingots & Alloys Ltd. v. Union of India, (2004) 6 SCC 254]**

3.4. लेकिन उस आदेश के बारे मे और उन नियमो का पालन करने के बारे मे केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों या अन्य विभागो को कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किये. इसके विपरीत केन्द्र के स्वास्थ मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण अपने हर पत्र मे १००% वैक्सीनेशन पर ही जोर देते रहे।

Link:https://drive.google.com/file/d/1lAf0RB3RkSTktZGMMbdUFWv8O1mgq0Tu/view?usp=share_link

3.5. इसके आलावा जब कई राज्यों ने और संस्थानो ने लोगो को टिका लेने के जबरदस्ती करनेवाले नियम बनाये और पीड़ित नागरिक जब परेशान हो रहे थे तब भी केन्द्र के अधिकारियो ने कोई भी मदद नही की और जनता को अपने हाल पर छोड़ केन्द्र सरकार के अधिकारियोने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मना कर दिया।

3.6. जब पीड़ित नागरिको ने मा. सुप्रीम कोर्ट मे याचिकाये दायर की तब केन्द्र सरकार की ओर से राज्यो द्वारा लगाये गये गैरकानूनी निर्बंधो का समर्थन कर याचिका ख़ारिज करने की मांग की गई। हालाकि मा. सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र की आपत्तियो को ठुकराते हुए नागरिको के हक मे फैसला दिया जो कि, मा. गुवाहाटी तथा मेघालय उच्च न्यायालयो के आदेशो को प्रमाणित करता है। **[Jacob Puliyel v. Union of India, 2022 SCC OnLine SC 533]**

Link:-

https://drive.google.com/file/d/1HEs2tRDsT5Wirp596K8B9zLx-FHW6jid/view?usp=sharing

3.7. इस मामले मे अपने कर्तव्यो के पालन मे कोताही बरतने वाले गैरकानूनी कार्यो मे शामिल दोषी अधिकारियो पर करवाई आवश्यक है।

3.8. युनो द्वारा बनाये गए नियम **Universal Declaration on Human Rights & Bioethics 2005** के प्रावधान **Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, Master Haridan Kumar Vs. UOI 2019 SCC online Del 11929** मामले के मा. न्यायालयो के आदेश और निर्देश और केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए **Covid-19 Vaccination Guidelines** मे स्पष्ट प्रावधान है की, टिके से होनेवाले सभी दुष्परिणामो की जानकारी हर व्यक्ती को टीका लेने से पहले देना बंधनकारक है।

" Covid Vaccination Guidelines. (Pg. No. 107)"

Link:-https://drive.google.com/file/d/1XuPCc92rMGgsVUJobGFO-M5dxeNlarEl/view?usp=share_link

3.9. कोरोना टीका **(Covishield, Covaxin)** की वजह से कई लोगो की और बच्चो की मौते हुई है यह बात केन्द्र सरकारने मानी है। **[AEFI Committee Reports]**

Link:- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hG5rx_EsQoI5-D5bmYe91rhenxJ-skce/edit?usp=sharing&ouid=114357435510577445157&rtpof=true&sd=true

3.10. कोव्हिशील्ड के वजह से 'नॉर्वे' देश में केवल एक बच्चे की मौत होने की वजह से 21 यूरोपियन देशोंने इस पर पाबंदी लगा दी थी।

Link : https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/which-countries-have-halted-use-of-astrazenecas-covid-vaccine

3.11. जपान और कैनडा की सरकार ने अपने देश के नागरिको को टीके के दुष्परिणामों की जानकारी देकर टीका लेना या नहीं इसका निर्णय लेने की सवतंत्रता

और टीका लेने के लिए दबाव बनाने वाले अधिकारीयो के खिलाफ कारवाई करने के आदेश जारी किये थे।

Link: (i) https://rairfoundation.com/alert-japan-places-myocarditis-warning-on-vaccines-requires-informed-consent/

(ii)

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793551

3.12. किंतु अपने भारत देश मे कई मौते होने के बावजूद भी कोव्हिशील्ड तथा अन्यटीके (vaccine) पर ना तो कोई पाबंदी लगाई गई और ना ही नागरिको को वैक्सीन के उन जानलेवा अन्य दुष्परिणामों की स्पष्ट रूप में जानकारी देने वाले विज्ञापन को समाचार पत्र और टीव्ही चॅनल पर प्रकाशित किये।

इससे विपरीत सरकार के सभी अधिकारी और **डॉ. रणदीप गुलेरीया जैसे अनैतिक आचरण वाले डॉक्टर्स द्वारा कोरोना टीका पूर्णतः सुरक्षित है और इससे होनेवाले सभी दुष्परिणामों के इलाज उपलब्ध होने की झूठी बात कही गई**। सभी नागरिको के 'मोबाईल में कॉलर ट्यून' में भी ऐसा ही झूठा प्रचार किया गया की टीका पूर्णतः सुरक्षित है और जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे। ऐसी जानलेवा वैक्सीन टीका के समर्थन वाले प्रचार के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपया खर्च किया गया।

यहा तक की 'घर -घर दस्तक' अभिचान चलाकर लोगो के घर जाकर उन्हे वैक्सीन दी गई.

(i) NDTV Caller Tunes

Link:- https://www.youtube.com/watch?v=0p9zJ4r4P1g

(ii) Dr. Randeep Guleria You Tube

Link:- https://youtu.be/bE7vlajxZ9s

(iii) Dr paul& Dr Guleria Question & Answers.

Link:-

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1725247

(iv) RTI reply stating that around 8400 crores are spent on promotion of corona vaccines related advertisements.

Link:-

https://drive.google.com/file/d/1iDNzeeKviL86eHnY3rfVXcEi-6UT4d2t/view?usp=sharing

(v) Page No. _____ of Book written by Mehnaz Merchant titled as 'Iqbal Singh Chahal- The covid warrior'.

3.13. सरकारी तंत्र द्वारा टीका सुरक्षित है ऐसा झूठ बोलकर और गैरकानूनी निर्बंधो द्वारा दबाव बनाकर जैसे लोगो को लोकल ट्रेन , हवाई यात्रा, उनकी वेतन, राशन आदी सुविधाओं को टीकाकरण **(vaccine certificate)** से जोड़कर जानलेवा दुष्परिणामों वाला टीका लेनेपर मजबूर किया गया यह स्पष्ट है।
ऐसे में क़ानूनी प्रावधानों द्वारा सभी दोषी अधिकारियो, मंत्रियो के खिलाफ फौजदारी **(Criminal)** क़ानूनी कारवाई आवश्यक है। साथही सरकार तथा दोषी अधिकारी पिडितो को मुआवजा देने के लिए कानूनन बाध्य है **[Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130]**

Link: -

https://drive.google.com/file/d/17nyends7DU1yfvG_lJtOV6mNLWQVqOBN/view?usp=sharing-

4. टीका कंपनीयो को अनुचित लाभ पहुचाने के लिए देश का हजारो करोड़ का नुकसान और लोगो की मौत का जिम्मेदार होना।

4.1. विभिन्न रिसर्च (शोधपत्र) और अंतरराष्ट्रीय तथा देश के लगभग सभी **Domain Experts** ने भी यह स्पष्ट कर दिया है की 'ओमायक्रॉन' की वजह से देशभर में लगभग 90% से ज्यादा लोगो में Natural **Immunity** तैयार हो गयी थी और वह प्रतिकार शक्ती वैक्सीन से कई गुना बेहतर तथा कई वर्षोतक या आजीवन टिकने वाली है।

जबकि कोरोना वैक्सीन की प्रतिकार शक्ती तीन महीने से ज्यादा नहीं टिकती है।

Link:

(i) ISRAELI STUDY: Fully Vaxxed Are 27 Times More Likely to Get COVID Compared to People with Natural Immunity

https://nationalfile.com/israeli-study-fully-vaxxed-are-27-times-more-likely-to-get-covid-compared-to-people-with-natural-immunity/

(ii) AstraZeneca Covid-19 vaccine protection wanes after three months: Lancet study

https://www.businesstoday.in/coronavirus/story/astrazeneca-covid-vaccine-protection-wanes-after-three-months-lancet-study-316348-2021-12-21

(iii) क्या अब सबको टीका लगाने का कोई फायदा है? महामारी विशेषज्ञ से बातचीत

https://www.youtube.com/watch?v=-btDk0eSi5U

(iv) Article of Dr. Amitav Banerjee published in the Print.

https://theprint.in/opinion/indians-must-have-no-confusion-about-how-we-reached-impressive-covid-herd-immunity/591489/

4.2. विशेषज्ञो ने स्पष्ट किया था की, **Natural Immunity** वाले लोगो को टीका देना यह बेवकूफी होगी और इसके दो नुकसान है :-

(i) इससे देश के हजारो करोड़ रुपयों का नुकसान होगा;

(ii) <u>और;</u> Natural Immunity वाले लोगो को टीका देने से लोगो की जान को खतरा होगा।

(iii) और; इससे **Control Group** नष्ट हो जायेंगे जिससे शोध मे परेशानी होगी और सही तथ्य नहीं मिल पायेंगे। यह सबूतों को नष्ट करने का अपराध है।

Link: http://ijpsm.co.in/index.php/ijpsm/article/view/500/325

4.3. यह बातऔर सारे शोधपत्र, साबुत, **श्री फिरोज मिठीबोरवाला** द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय मे दायर याचिका **W.P. No. 84 of 2021** की रीट पिटीशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दे दिए गए थे।

4.4. खुद विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने भी स्पष्ट किया है कि टीका लेनेवाले या जिन्हें एक बार कोरोना (Covid -19) हो चुका है वे दोनो सुरक्षित है।

That WHO had also acknowledged the fact that immunity can be achieved by natural infection it supports the stand taken by honest domain experts like Dr. Amitav Banerjee, Dr. Sanjay Rai AIIMS, Dr. Arvind Kushwaha AIIMS.

The WHO's suggestions ON Herd Immunity. The relevant para reads thus;

"What is 'Herd immunity' ?

'Herd immunity'**, also known as **'population immunity'**, is the indirect protection from an infectious disease that happens when **a population is immune either through vaccination or immunity developed through previous infection."

Link:- https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19

4.5. लेकिन केंद्र के अधिकारीयो ने इस बात को जान बूझकर नहीं माना और टीका कंपनियों को हजारो करोड़ रुपयों का अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए देश के नागरिको की जान खतरे में डाल दी। अभी के नए शोध में यह सामने आया है की जिन लोगो को इन्फेक्शन या अन्य कारणों से प्रतिकारशक्ति (Natural Immunity) तयार हो गयी थी उन्हे टीका देने की वजह से ऐसे लोगो की जान को बहोत ज्यादा नुकसान पंहुचा है।

Links:

- **(i)** https://www.mdpi.com/2075-1729/11/3/249/html
- **(ii)** https://www.mdpi.com/2076-393X/10/7/1153
- **(iii)** http://ijpsm.co.in/index.php/ijpsm/article/view/500/325

4.6. केन्द्र सरकार के सचिव राजेश भूषण द्वारा दिये गये किसी भी पत्रों मे या आदेशों में इस बात का कही भी जिक्र नहीं है की कोविड टिके के जानलेवा और अन्य दुष्परिणाम है तथा Natural Immunity वाले लोग बेहतर है और उन्हें टिके की आवश्यकता नहीं है । इससे विपरीत उन्होने हर पत्रों में केवल 100% वैक्सीनेशन की ही बात की हैं।

Link-

https://drive.google.com/file/d/1lAf0RB3RkSTktZGMMbdUFWv8O1mgq0Tu/view?usp=drivesdk

इससे साफ होता है की राजेश भूषण उनके सलाहकार अधिकारी और स्वास्थ मंत्री ये लोग देश और जनता के हितों के विरुद्ध जाकर सच्चे विज्ञानं और ईमानदार डॉक्टर्स तथा महामारी विशेषज्ञों के सुझावों को झूठलाकर केवल टीका कंपनीयो को हजारो करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने के साजिश के तहत काम कर रहे थे।

4.7. ऐसे दोषी अधिकारियों की वजह से कई लोगो की मौते हुई, कई लोग जीवनभर के लिए अपाहिज हो गए और देश की जनता की हजारो करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसे दोषी अधिकारी **IPC 409, 115, 304-A, 304, 302, 120(B), 167, 34** आदी धाराओं के तहत सजा के हक़दार है।

5. वैक्सीन कंपनियों द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट्स द्वारा कव्हीड टिके का फायदा होने का झूठा प्रचार किया गया जबकि शोध में यह साबित हो गया की टीकाकरण न करनेवाले देशो मे से भी कोरोना खत्म हो गया और ज्यादा टीकाकरण करनेवाले देश - प्रदेशो में ज्यादा मौते हुई और कोरोना की कई लहरे आयी।

5.1. वैक्सीन कंपनी माफियाओ सरगना के कुख्यात चैरीटी संगठन 'बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन' द्वारा प्रायोजित एक झूठा शोधपत्र **'लैन्सेट'** में प्रकाशित किया गया जिससे बिना किसी वास्तविक सबूत के केवल गणितीय आधारपर यह बताने का प्रयास किया गया की, वैक्सीन की वजह से लगभग 200 करोड़ लोगो की जान बची है।

Link: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext

5.2. भारत सरकार ने ऐसे गणितीय आकड़ो का झूठ उजागर करते हुए तथ्यों को सामने रखकर उनकी पोल खोल दी।

> **"डब्ल्यूएचओ की गंभीर भूलों पर भी बहस होनी चाहिए, कोरोना काल में इसकी विश्वसनीयता पर हुआ संदेह"**
>
> ***"Title: Bibek Debroy and Aditya Sinha's column: WHO's serious blunders should also be debated, its credibility doubted in the Corona era***
>
> *Bibek Debroy (Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister) and Aditya Sinha (Additional Private Secretary, Research). The WHO estimated 47 lakh deaths in India between 1 January 2020 and 1 December 2021 due to Covid and its related causes. These figures were ten times more than the official figures of the Government of India.*
>
> *...It appears that there are serious errors in his method of calculation.*

Link:- https://www.bhaskar.com/opinion/news/column-of-bibek-debroy-and-aditya-sinha-serious-mistakes-of-who-should-also-be-debated-doubts-about-its-credibility-in-corona-era-129930668.html

5.3. तथ्यों के आधार पर और ईमानदार शोधकर्ताओ द्वारा प्रकाशित लेखो और शोधपत्रों (Research Paper) में यह साबित हो गया है की जहा जहा ज्यादा टीकाकरण हुआ वहा वहा पर ज्यादा मौते हुई

Link:-https://expose-news.com/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/

5.4. हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र मे यह भी पाया गया की कोरोना के टिके से मौत की संभावना **98** गुना बढ जाती है मतलब कोरोना बिमारी से ज्यादा टिका लेने से मौत का खतरा बढ जाता है ऐसे में कोरोना का टिका लेना और दूसरो को टिका लेने की सलाह देना यह दोनो ही गैर जिम्मेदारना और असमर्थनीय कार्य है। [vaccine is proved to be a remedy which is worst and dangerous than the disease]

Link: -

(i) COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4206070

(ii) "Ethically Unjustifiable" – Scientists from Harvard & Johns Hopkins Found Covid-19 Vaccines 98 Times Worse Than the Virus

https://www.thegatewaypundit.com/2022/09/ethically-unjustifiable-new-harvard-johns-hopkins-study-found-covid-19-vaccines-98-times-worse-disease/

5.5. हाल ही मे प्रकाशीत शोध मे यह पाया गया की अफ्रीका मे टिकाकरण केवल 6% से भी कम आबादी में हुआ लेकीन वहा से कोरोना चला गया इसके अलावा संपूर्ण टीकाकरण और बूस्टर डोस देनेवाले देश और मुंबई जैसे शहरो मे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हमेशा पाये जाते थे यह साफ दर्शाता है की कोरोना महामारी से निपटने में टिके का कोई रोल नही है बल्की कोरोना महामारी बढाने और मौत बढाने मे टिका (vaccine) की अहम भूमिका है

Link: - Africa is only 6% vaccinated and covid has practically disappeared Dated.22.11.21

(i) https://freerepublic.com/focus/f-chat/4113563/posts

(ii) https://pandemic.news/2021-11-22-africa-6percent-vaccinated-covid-disappeared-scientists-baffled.html

5.6. इस बात को देश के नागरीको तक पहुचाने की और झूठी बाते **(Narrative)** चलानेवाले लोगो के सभी अधिकारीयो, मंत्रीयो के खिलाफ कारवाई करने की जिम्मेदारी सरकार और न्यायालयो की है।

5.7. इन सभी बातो से यह साफ है की वैक्सीन और फार्मा माफिया ने देश के स्वास्थ मंत्रालय और मिडिया पर अपनी पकड़ बना ली है। और वो अपने गैरकानूनी देशविरोधी एजंडा को बिना किसी रोक- टोक के चला रहे है।

ये सभी आरोपी देश की जनता की जान माल को और आर्थिक संपत्ती को नुकसान पहुंचाने और जनसंहार **(Mass murder, Genocide)** के षडयंत्र को बेरोक - टोक चला रहे है।

6. कोवीड टीके के बुस्टर डोज का फ्रॉड उजागर

6.1 कोवीड टीके का बूस्टर डोज अवैज्ञानिक तथा जानलेवा होने का खुलासा देश के और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रो मे हो चुका है। देश की बहुसंख्य जनता ने भी बुस्टर डोज लेने को मना कर दिया।

बुस्टर डोज ना लेने के बाद भी देश मे कोरोना की कोई नई लहर नही आयी। इससे यह साफ हो गया है की वैक्सीन कंपनीयो द्वारा स्वास्थ मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारीयो के साथ साठ-गाठ करके लोगो को बुस्टर डोज लेने के लिए प्रोत्साहीत किया गया।

6.2 रिसर्च मे यह पाया गया की बुस्टर डोज लेने वालो मे ज्यादा मौत हुई है।

Link- https://expose-news.com/2022/07/29/trudeau-90percent-covid-deaths-vaccinated-canada/

https://survivalmagazine.org/survival-news-info/devestating-data-90-of-covid-deaths-in-the-uk-happened-in-the-vaccinated/

7. सरकार पर भरोसा कर कोवीड टीका लेनेवाले नागरिकों को उस टीके के दुष्परिणामों पर मुआवज़ा (Compensation) ना देना यह जनता के साथ धोखा और विश्वासघात है।

7.1. सरकार की ओर से हमारे देश की जनता को बार-बार टीव्ही और वर्तमानपत्रों में विज्ञापन देकर मोबाईल कॉलर ट्यून और AIMS के डॉ. रणदीप गुलेरिया जैसे डॉक्टर्स के सवाल जबाब, व्हीडियो तथा मंत्रीयों से लेकर प्रधानमंत्री तक और यहाँ तक की जस्टीस धनंजय चंद्रचूड जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कवीड वैक्सीन लेने की सलाह बार बार दी। सभी ने बार बार कोव्हीड टीका लेने का आग्रह किया।

उन सभीपर विश्वास रखकर और दबाव में देश की करोड़ों जनता ने कोव्हीड टीका लिया। भारत में लगभग 200 करोड़ टीकाकरण हुआ।

7.2. लेकिन बाद में इस टीके के दुष्परिणाम बाहर आने लगे और कोव्हीशील्ड टीके के दुष्परिणामों की वजह से 'नार्वे' देश में एक युवक की मौत होने की वजह से लगभग २१ देशों ने कोव्हीशील्ड टीके पर पाबंदी लगा दी।

Link:- https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/which-countries-have-halted-use-of-astrazenecas-covid-vaccine

7.3. लेकिन भारत में ऐसी कोई पाबंदी नही लगाई गयी। इसके विपरीत वह जानलेवा टीका लेने के लिए दबाब बनाने के लिए कई गैरकानूनी और असैंवधानिक पाबंदीया लगाई गई।

7.4. आश्चर्य की बात यह है की भारत सरकार ने कोव्हीशील्ड को भारत में मंजूरी देते समय 'ब्रिटैन (यूके)' में कोव्हीशील्ड द्वारा किये गये **Phase II & III** क्लिनीकल ट्रायल को ही आधार मानकर भारत में Emergency Use Authorization दिया था। यह बात केंद्र सरकार द्वारा **Jacob Puliyel Vs. Union of India 2021 SCC OnLine SC 533** मामले में दायर शपथपत्र में कही गयी है।

Link: https://drive.google.com/file/d/1oXX0V9LnuaimnWakkd-YNN79muXKS0J-/view?usp=drivesdk

7.5. परंतु जब यूरोप के २१ देशों ने जानलेवा दुष्परिणामों के चलते कोव्हीशील्ड पर पाबंदी लगाई तब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय तथा वैक्सीन सबंधीत विभागों द्वारा कोई पाबंदी न लगाकर देश की जनता को मौत के मुँह में धकेल दिया गया। इस वजह से सरकार टीके से होनेवाले दुष्परिणामो में सभी नागरिको को मुआवजा (Compensation) देने के लिए बाध्य है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कानून भी बना रखा है।

(i) Veena sippy Vs. Narayan Dambre 2012 All Mr (Cri) 1263

(ii) S. Nambi Narayanan Vs. Siby Mathews (2018) 10 SCC 804

(iii) Walmik s/o Deorao Bobde Vs. State 2001 **ALLMR (Cri.)1731**

7.6. जपान सरकार ने पारदर्शिता और ईमानदारी दिखाते हुए उनके देश के सभी नागरिको को कोविड टीके के दुष्परिणामो से आगाह किया और टीका लेने के लिए जबरदस्ती करनेवाले अधिकारी और कंपनियो के खिलाफ कारवाई के लिए विशेष 'मानव अधिकार विभाग' की स्थापना की तथा नागरिको को उस विभाग में शिकायत दर्ज कराने का आवाहन किया।

Link: https://rairfoundation.com/alert-japan-places-myocarditis-warning-on-vaccines-requires-informed-consent/

7.7. भारत देश में जापान देश की तरह ऐसे विज्ञापन प्रकारित करने से और 21 यूरोपियन देशो की तरह कव्हिशील्ड वैक्सीन पर पाबन्दी लगाकर नागरिको के हितो की और उनके जान की रक्षा करनेवाला यह काम करने से किसने और क्यू रोका इस बात की जांच होनी आवश्यक है।

7.8. सिंगापूर में एक बच्चे को कोरोना टीके से उसके दिल की धड़कने बढ़ने की बिमारी होने की वजह से वहा की सरकार ने बिना किसी आवेदन के उस बच्चे के परिवार को 1 करोड़ 78 लाख रूपये का मुआवजा दिया है।

Link:- https://greatgameindia.com/pfizer-heart-attack-compensation/

7.9. अनेक देशो ने अपने नागरिको को टीके से होनेवाले दुष्परिणामो के मुआवजे के रूप में हजारो करोड़ रूपये की राशी दी है।

Link:-

https://drive.google.com/file/d/1libRnffk4AKuzzJaBqTG8hoN0LQM2z3C/view?usp=sharing

7.10. तैवान में सरकार ने कोविड टीके के दुष्परिणाम में 60 लाख डॉलर मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Link: https://focustaiwan.tw/society/202203290026

7.11. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोविड टीके के दुष्परिणामो की वजह से परेशान परिवारों को मदत करने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाकर उसमे अपने मुआवजे के आवेदन देने को कहा है। वहापर लगभग १०,००० लोगो ने आवेदन दिए है।

Link : https://www.wionews.com/world/thousands-of-australians-want-compensation-for-covid-vaccine-side-effects-report-429883

7.12. ब्रिटेन (UK) में वहा के नागरिको ने लगभग ९२० केसेस कोर्ट में दायर कर टीके से होनेवाले दुष्परिणामो के लिए मुआवजा देने की मांग की है।

7.13. थाईलैंड सरकार ने लगभग 14,034 लोगों को कोविड टीके के दुष्परिणाम और 3670 परिवारों को उनके सदस्य की कोविड टीके से मौत पर 1.71 बिलियन डॉलर (लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा) की राशि दी हैं।

Link:

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2292514/b1-7bn-for-adverse-jab-effects

7.14. अमरीका ने National Vaccine Injury Compensation Program बनाया है और कोर्ट मे फार्मा कंपनियों के खिलाफ केसेस दायर करके कंपनियों से पीड़ित परिवारों को हजारों करोड़ रुपयों का मुआवजा दिलवाया हैं।

Link:- https://www.mctlaw.com/101-million-dollar-vaccine-injury-mmr/

7.15. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविंड टीके से दुष्परिणाम भोगने वाले दुनियाभर के नागरिको को मुआवजा देने का ऐलान किया और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी थी उसमें यह शर्त थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मुआवजा देने पर नागरिक टीका कंपनियों के खिलाफ़ केस नहीं डाल पाएंगे।

5Link:- https://www.who.int/news/item/22-02-2021-no-fault-compensation-programme-for-covid-19-vaccines-is-a-world-first

7.16. भारत देश के नागरिको ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास आवेदन इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके देश के नेता और अधिकारी उन्हें उचित मुआवजा देंगे या दोषी वैक्सीन कंपनी तथा दोषी अधिकारियों से अधिक से अधिक मुआवजा मिलवाने में मदद करेंगे।

7.17. लेकिन केंद्र सरकार के स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इम्यूनाइजेशन विभाग की अवर सचिव डॉ. वीणा धवन ने सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर 2022 को रचना गंगू की याचिका के जवाब में दायर किए गए शपथपत्र में सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होने का दावा किया है और पीड़ित परिवार को स्थानीय अदालतों में दोषी अधिकारियों और टीका कंपनियों पर केस दायर करने की सलाह देकर पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है।

Link:https://drive.google.com/file/d/18MihHRHZRSmQl5g8GIFSnS5D9cxp9LUW/view?usp=drivesdk

7.18. उस शपथपत्र मे यह स्पष्ट तौर से झूठ लिखा गया की सरकार ने सभी नागरिकों को कोविड टीके **(वैक्सीन)** से होनेवाले सभी जानलेवा दुष्परिणामों की जानकारी पहले ही दे दी थी और सरकार की तरफ से टीका लेने के लिए कोई भी पाबंदी या निर्बंध नहीं लगाए गए थे इसलिए दुष्परिणामों के पता होने के बाद भी अगर जनता टीका लेती हैं तो यह उनकी गलती हैं । इसलिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

7.19. उस शपथपत्र का झूठ उपर दिये गए सबूतों से साफ हो गया हैं की ना तो सरकार ने जनता को टीका के दुष्परिणामों की जानकारी दी ना ही टीका स् वैच्छिक था बल्कि सरकार ने लोगों को बार बार झूठ बताया कि टी का पूर्णतः सुरक्षित है और जनता अफवाहों पर ध्यान न रखते हुए दिए गए टीकाकरण करवाए टीका नहीं लेने वाले नागरिको को ट्रेन हवाई जहाज से लेकर कई जगहों पर पाबंदी लगाकर उन्हें टीका लेने पर मजबूर किया गया।

'घर घर दस्तक' अभियान चलाकर लोगों के घर जाकर उन्हें जबरदस्ती टीका देने के कई मामले सामने आए हैं।

7.20. यह बात साफ दर्शाती है कि सरकार देश की जनता के साथ धोखा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोका कर रही है मुख्य आरोपियों को बचाने और कोर्ट के गुमराह करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कोर्ट मे झूठा शपथपत्र देने के लिये आईपीसी की धारा **191,192,193, 199, 200, 201, 218, 409, 471, 474, 120(B), 34** के तहत 6 माह से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

इन सभी दोषी अधिकारियों और उस विभाग के मंत्री के खिलाफ कठोर कानूनी कारवाई आवश्यक हैं तथा उन्हे अपने पद से तुरंत देना चाहिए।

8. विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) के अधिकारी और बिल गेटस द्वारा साजिश रच कर वैक्सीन कंपनीयो को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 'मंकीपॉक्स'

और "स्वाईन फ्लू' की महामारी लाने के असफल प्रयास के सबूत उन्हे आरोपी बनाकर फासी की सजा देने के लिए प्रयाप्त है।

8.1 विश्व स्वास्थ संगठन WHO को विभीन्न टीका एवम दवाई कंपनीया अनुदान **(Donation)** देती है। उसमे सबसे ज्यादा अनुदान (donation) देने वाले **बिल अँड मिलीडा गेट्स फाऊंडेशन'** हैं।

8.2. बिल गेट्स की कई वैक्सीन कंपनियों मे साझीदारी है और उनके फायदे के लिए ही वो अलग योजनाओ में डोनेशन देता है ताकि इन झूठे नैरेटिव के आधारपर बनने वाले शोधपत्र और साजिशो की वजह से वैक्सीन की पाबन्दी या उसे राष्ट्रिय प्रोग्राम में शामिल कर उससे हजारो करोड़ का मुनाफा कमाया जा सके। यह बात संसदीय समिति की 72 वि रिपोर्ट से साबित होती है।

8.3. ऐसे आपराधिक मानसिकता के फार्मा माफ़िआओ के फायदे के लिए ही WHO काम करता है ऐसी बात साबित हो चुकी है।

8.4. इसिलए WHO के ज्यादातर सुझाव यह केवल फार्मा कंपनीयो को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश से दिये गये होते है।

8.5. भारत सरकार ने कई बार WHO के सुझावो का झूठ उजाकर किया है और उनके प्रस्तावो / सुझावों को ठुकराकर सही वैज्ञानिक तरीके अपनाये है।

(a) गोवा सरकार ने हाय कोर्ट दायर शपथपत्र मे WHO के **Ivermectin** के कोवीड -19 के खिलाफ कारगर ना होने के सुझावों को गलत और दोषपूर्ण बताते हुए सभी नागरिको को Ivermectin दी थी।

Link:
https://drive.google.com/file/d/15a2sZ01X_rTZFnS1sCvOjS3mQOmncnPr/view?usp=sharing

(b) WHO के गणितीय मौतों के आकड़े का झूठे भारत सरकार ने उजागर किया था।

Link:- https://www.ndtv.com/india-news/concerns-with-method-says-india-on-report-of-stalling-who-covid-report-2894354

(c) डब्ल्यूएचओ की गंभीर भूलों पर भी बहस होनी चाहिए, कोरोना काल में इसकी विश्वसनीयता पर हुआ संदेह

Link:- https://www.bhaskar.com/opinion/news/column-of-bibek-debroy-and-aditya-sinha-serious-mistakes-of-who-should-also-be-debated-doubts-about-its-credibility-in-corona-era-129930668.html

(d) WHO की मुख्या वैज्ञानिक डॉ.सौम्य स्वामीनाथन द्वारा फार्मा कंपनीयो से साठगाठ क्र झूटा करने के ट्वीट करने के मामले मे उन्हें इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से नोटीस मिलने के बाद उन्होने टवीट डीलीट कर दिया।

Link:- https://indianbarassociation.co.in/real-estate-attorney-bill-kuehling/

(e) कोव्हीड वैक्सीन के दुष्परणामो को छुपाने के लिए 'लॉन्ग कव्हीड सिंड्रोम' (Long Covid Syndrome) जैसे झूठे नैरेटिव चलाने वाली WHO

की चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्य स्वामीनाथन का दो बार क़ानूनी नोटिस भेजा जा चूका है ।

Link:-

https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/05/Legal-Notice-to-Dr.-Soumya-Swaminathan_Chief-Scientist-WHO-1.pdf

https://drive.google.com/file/d/1PXgHzA8lPT5rToTAyeCowLCTuC4DXasn/view?usp=share_link

8.6. यूरोपीय महासंघ की संसदीय समिति ने अधिकारियो को फार्मा कंपनीयो को फायदा पहुचाने के लिए स्वाइन फ्लू की झूठी महामारी घोषित करने के मामले प्रथमदृष्टया दोषी मानकर जाँच के लिए तलब किया और जाँच की थी।

Link:-

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2010/06/council-europe-affirms-critique-whos-pandemic-response

8.7. बिल गेट्स ने अपनी साजिश के तहत दिसंबर 2021 में ही ऐलानकर दिया था कि जुलाई 2022 तक 'मंकीपॉक्स' नामक विषाणु की महामारी सारी दुनिया में फैलनेवाली है।

Link:-

https://twitter.com/pbhushan1/status/1528029727738368000?t=8airzEMUS87zaNb6avLQHQ&s=08

8.8. और जुलाई 2022 से डब्ल्यूएचओ ने मंकीपॉक्स को महामारी दिखाने और सभी लोगों को डराने का कई असफल प्रयास किए लेकिन जनता जागरूक होने की वजह से यह प्रयास फेल हो गये

Link: - https://www.who.int/emergencies/situations/monkeypox-oubreak-2022

8.9. इन सभी सबूतों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, की फार्मा माफियाओ के सरगना बिल गेट्स और WHO के भ्रष्ट तंत्र द्वारा साजिशे रचकर नई नई महामारियों का डर दिखाकर लोगो को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र कई वर्षो से रचा जा रहा है और इन आरोपीयो ने अपना आपराधिक लक्ष्य साध्य करने के लिए कई मासूमो की जान ली है और कई लोगो को आगविन का अपाहिज बना दिया है। साथ ही में उन्होंने नागरिको के रोजगार को भी प्रभावित कर कई लोगो को गरीब बना दिया है।

इसलिए जनसंहार (Mass murders, genocide) करनेवाले बिल गेट्स, आदार पूनावाला समेत WHO के सभी दोषी अधिकारियो के खिलाफ IPC 115, 302, 120(B), 34. आदी विभीन्न धाराओं के तहत कारवाई कर उन्हें फांसी की सजा तुरंत देना आवश्यक है।

9. देश की बहुसंख्या मुफ्त होने के बावजूद वैक्सीन का बुस्टर डोज लेने से मना किया और ८०% से ज्यादा लोगो ने अपने बच्चो को कोरोना का टीका देने से मना किया कर यह बता दिया की उन्हे वैक्सीन पर भरोसा नही है और

इसके पहले के वैक्सीन के डोज यह केवल निर्बंधो के दबाव मे और झूठे विज्ञापनो के प्रभाव मे आकर लिये थे।

9.1. जब मा. सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के निर्बंध ख़ारिज कर दिए तब लगभग ९०% से भी ज्यादा देशवासीचो ने बूस्टर डोज लेने से मना किया और कोव्हीशील्ड तथा कोव्हेक्सिन को उनके ३० करोड से भी ज्यादा डोज फेकना पडे।

Link: - https://www.bbc.com/news/world-asia-india-63324548

9.2. यही बात बच्चो के वैक्सीनेशन मे भी देखी गई. वहा पर भी लगभग ८०% से भी ज्यादा लोगो ने अपने बच्चो को कोरोना का टिका देने से मना कर दीया।

9.3. इससे यह बात साबित हो गई है कि लोगो को कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। `

10. दो गज की दूरी सैनिटाइजर जैसे अब वैज्ञानिक तथा गंभीर दुष्परिणामों वाले नियमों का प्रचार कर देश की जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन तथा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़।

10.1. ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्पष्ट किया है की उनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सकते है की 'दो गज की दुरी', सैनिटायझार या लोकडाऊँन जैसे उपयो से कोरोना के खिलाड़फ कोई संरक्षण मिलता है।

Link: -
https://drive.google.com/file/d/1oQa4iarV8uU7ZOOFqPiIm6mjERNYP_cY/view?usp=sharing

10.2. लेकिन फिर भी इन अवैज्ञानिक और अतार्किक उपायों का सहायता लेकर लोगो को डरा कर ऐसे निर्बंध लगाकर उनके रोजगार को प्रभावित किया गया और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया।

10.3. सैनिटायझर के कई दुष्परिणाम सामने आये है।

11. मासूम जनता की आवाज सरकार के कानो तक या तो नहीं पहुंच पा रही है या फिर उच्च पदस्थ अधिकारी मंत्री भी इसमें शामिल होने की वजह से आवश्यक करवाई मे बाधा आ रही है।

12. आपसे नम्र निवेदन है की, आप इस गंभीर मामले में तुरंत FIR दर्ज करे और CBI, ED, Income Tax Department, Raw आदी विभिन्न विभागों की एक संयुक्त टीम (Special Investigation Team) का गठन कर दोषियों को तुरंत सजा दिलवाये।

13. आप कृपया निम्नलिखीत विचारो पर भी गौर करे।

1. Where you see wrong or inequality or injustice, speak out, because this is your country. This is your democracy. Make it. Protect it. Pass it on.
   जहाँ आप गलत या असमानता या अन्याय देखते हैं, वहां बोलिए , आवाज उठाइये क्योंकि यह आपका देश है। यह आपका लोकतंत्र है। इसे बनाओ। इसे बचाओ। आगे बढ़ाओ।

   -Thurgood Marshall

2. Evil unchecked means evil tolerated and evil tolerated is evil propagated.
   बुराई को न रोकने का अर्थ है बुराई को सहन करना, और बुराई को सहन करना ही बुराई को बढ़ावा देता है।

3. This world suffered a lot, not because of violence of bad people, but because of silence of good people.

दुनिया को नुकसान बुरे लोगों की हिंसा करने से ज्यादा बल्कि, अ च्छे लोगों के शांत / चुप रहने से हुआ है।

– Napoleon Bonaparte

4. A stitch in time will saves time.

5. 'Injustice' anywhere is threat to 'Justice' everywhere.

- Martin Luther King

6. Don't see 'who is Right' see 'what is Right'.

- Adv. Nilesh Ojha

7. Mercy to the criminal is injustice to the victim.

8. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.

- Archbishop Desmond Tutu

9. Crime is contagious. If the Government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; It invites every man to become a law unto himself; It invites anarchy

- Luis Brandeis

10. Any problem well stated is a problem half solved.

- Charles Kettering

11. Don't find only faults, any fool can do that. Give solutions. It requires wisdom to find solutions than just blaming.

- Swami Vivekananda

14. अगर इस शिकायत पर ७ दिन के अंदर कारवाई ना हुई तो हमें मा. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना, देशभर में जन आंदोलन करना ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।

15. आशा है की, आप देश की जनता के जान की किमत को वैक्सिन माफियाओ के मुनाफे से ज्यादा मानते है।

16. निवेदन: - आपसे निवेदन है की निम्नलिखित आदेश तुरंत पारीत किये जाए:-

(i) संसदीय समिति की 72वी रिपोर्ट के अनुसार 8 मासूम बच्चियों की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपी अधिकारी एवं फार्मा माफियाओ पर करवाई मे देरी करने वाले दोषीयों के खिलाफ IPC 218, 201,302, 304, 409,120(B), 34 आदी धाराओ के तहत कानूनी करवाई करने के आदेश;

(ii) वैक्सीन और फार्मा माफियाओ को मदद करने के लिए चैरीटी के नाम पर अपराधिक साजिश रचकर एजंडा चलाने वाले <u>कुख्यात 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन'</u> के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनसे संबंधित योजनाओ को ब्लॅक लिस्ट में डालकर तुरंत बंद करने के आदेश;

(iii) फार्मा माफियाओं को मदद करने के लिए अवैज्ञानिक और अतार्किक तरीके से पोलियो के डोज बढ़ाकर 4,50,000 से भी अधिक बच्चों को जीवनभर के लिए अपाहिज बनाने वाले मुख्य आरोपी बिल गेट्स और उनकी साजिश में शामिल आरोग्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रीयो के खिलाफ कार्रवाई IPC 115,

307, 409, 120(B), 34 आदि विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कानूनी करवाई करने के आदेश;

(iv) विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) द्वारा फार्मा कंपनीयो के फायदे के लिए झूठी रिपोर्ट तयार करना आदि साजिशो पर्दाफाश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत देश मामलों में सरकार की ओर से दिए गए सबूत शपथ पत्र और उपलब्ध अन्य सबूतों के आधार पर उनके निर्देश मानव हित मे ना होकर केवल फार्मा और वैक्सीन कंपनीयो का अधिक हित साधकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर देशो को आर्थिक तथा अन्य रूप से गरीब और कमजोर कर गुलाम बनाने का षड्यंत्र उजागर होने की वजह से उनकी कोई भी सिफारीशो को पूर्णतः जांचे बिना न मानने के आदेश

(v) कोरोना महामारी के दौरान आरोपी अधिकारियो द्वारा फार्मा और वैक्सीन कंपनीयोको हजारो करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुचाने के लिए अवैज्ञानिक, गैरकानूनी और अतार्किक सुझाव, नियम बनाकर लोगो के मौत के लिए और उन्हे आजीवन अपाहिज बनाने वाले दुष्परीणामों के लिए तथा देश को हजारो करोड़ रूपये का आर्थिक नुकसान पहुचाने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी और मंत्रियो को तुरंत सेवा से बरखास्त कर के खिलाफ IPC 166, 167, 109, 115, 302, 304, 409, 120 (B), 34 आदि धाराओं के तहत केस (FIR) दर्ज कर करवाई का आदेश सी.बी.आयी. और 'ईडी' को देने हेतु;

(vi) कोविड टिके के दुष्परीणामों से पीड़ित नागरिको को अन्य देशो की तरह गंभीर दुष्परीणामों में प्रति व्यक्ती को

2 करोड़ रुपये और मृतक के परिवारों को प्रति व्यक्ती 25 करोड़ रुपये की अंतरीम राशी देकर बादमे अधिक मुआवजे के लिए उन्हें न्यायालय में केस दाखिल कर दोषी फार्मा कंपनीया और अधिकारियों से पूर्ण मुआवजा मिलने के लिए मदद करने हेतु एक विशेष 'ट्रिब्यूनल' की स्थापना करने के आदेश

आपका

अंबर कोइरी

सेक्रेटरी जनरल

इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स

एक्टिविस्ट्स एसोसिएशन